भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 853
बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-एसजीएमबीवाई के तहत सौर कनेक्शन

853. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अब तक प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एमजीएमबीवाई) के तहत सौर ऊर्जा कनेक्शन प्राम करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के तहत आज की तिथि तक वितरित सब्सिडी की कुल राशि कितनी है; और

(ग) इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के शुभारंभ से, देश भर में कुल 22,65,521 आरटीएस प्रणाली स्थापित की गई हैं, जिससे दिनांक 30.01.2026 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के रूप में 16,061.12 करोड़ रुपये के वितरण से 28,24,518 घरों को लाभ मिला है।

पीएमएसजी: एमबीवाई का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में अन्य के साथ शामिल हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान में वार्षिक 5.75 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए कोलेट्रल-फ्री ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- इसमें आरईएससीओ/यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल शामिल हैं।
- नेट मीटरिंग करार को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बनाया गया है।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।
- कुशल मैनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टीवी विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉम सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी करना।
- क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

इसके अलावा, पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉमों के साथ गहन समन्वय में कार्य करते हैं।

*****